बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के लिए मार्गदर्शिका

1. आपको खुदरा अनुज्ञप्ति तीन वर्षों के लिए दी गई। यह अनुज्ञप्ति यह मानकर दी गई है कि आप अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे कि आपके पास इतनी पर्याप्त जमीन है कि कम–से–कम 5 ट्रक खड़ा कर सके। आपके पास अपना कार्यालय है जिसमें कम्प्यूटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर एवं स्कैनर उपलब्ध है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि लघु खनिज का सारा व्यापार कम्प्यूटर के माध्यम से ही होगा।

2. आप लघु खनिज का व्यापार सरकारी जमीन पर नहीं करेंगे। आपका कोई ट्रक अथवा किसी प्रकार का बालू/पत्थर का जमाव यदि सरकारी जमीन पर पाया गया तो आपकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी।यदि आप कृषि योग्य भूमि पर खुदरा व्यापार करना चाहते हैं तो आपको भूमि समपरिवर्तित करानी होगी।

3. आप के लिए GST Registration अनिवार्य है जिसे आप अविलम्ब करा लें। GST भुगतान करना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

4. फिलहाल आप केवल बालू एवं पत्थर का ही व्यवसाय करेंगे। अन्य कोई खनिज अथवा अन्य किसी प्रकार का व्यापार की अनुमति नहीं है।

5. आप अपने जिले के अलावा पूरे राज्य में बालू एवं पत्थर बेच सकते हैं किन्तु राज्य के बाहर कोई लघु खनिज नहीं भेजा जाएगा।

6. आप अपने परिसर में एक समय में 1000 CFT बालू तथा 1000 CFT पत्थर रख सकेंगे और इस स्टॉक से वैसे छोटे ग्राहकों की आवश्यकता पूरी करेंगे, जिनकी आवश्यकता कुछ बोरियों की ही है। 100 CFT अथवा उससे अधिक आवश्यकता वाले ग्राहकों को ट्रैक्टर एवं ट्रक के माध्यम से ही बालू/पत्थर का परिवहन करना होगा।

7. बालू घाट एवं पत्थर खदान से लघु खनिज उठाना तथा उसे ग्राहक तक पहुँचाने का कर्तव्य आपका है।

8. उक्त परिवहन हेतु आपको परिवहन खर्च दिया जाएगा जो कि बालू के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति 100 CFT देय है तथा पत्थर के लिए 21 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति 100 CFT देय है। इसके अतिरिक्त आपको कुल विक्रय दर का 8 प्रतिशत कमीशन देय होगा।

9. लघु खनिज का परिवहन आप निम्न प्रकार से कर सकते है :–

   क. यदि आपके स्वयं के ट्रक/ट्रैक्टर है तो उनके माध्यम से, या

   ख. आप ट्रक एवं ट्रैक्टर किराये पर भी ले सकते हैं, या

   ग. विभाग में सूचीबद्ध Transporters से भी संपर्क कर सकते है, जिसकी सूची विभागीय वेबसाइट http://www.mines.bih.nic.in/ पर देखी जा सकती है। इस सूची में समय–समय पर नए नाम जुड़ते जाएगें।

यह ध्यान रहे कि लघु खनिज का परिवहन उसी ट्रक/ट्रैक्टर के माध्यम से किया जाये, जिस पर GPS एवं Digital Lock लगा हुआ है। यदि आप किसी ऐसे ट्रक/ट्रैक्टर के माध्यम से व्यापार करते हैं जिस पर GPS एवं Digital Lock नहीं लगा हुआ है तो उक्त वाहन मालिक पर तो कार्रवाई की ही जाएगी, साथ ही, आपकी अनुज्ञप्ति भी रद्द कर दी जाएगी।

10. आप GPS एवं Digital Lock को किसी भी स्थान से खरीद सकते हैं किन्तु उसे विभाग के कंट्रोल रूम में Integrate कराना होगा। मात्र GPS खरीदना पर्याप्त नहीं है। Digital Lock भी होना चाहिए। आपकी सुविधा हेतु विभाग ने दो फर्म यथा MSD Telematix (7463882627, 7463882630, 7369020084, 0612 – 2215818) तथा Amazon Info Solutions (7033292729, 9297799951, 9297799952, 9297799953, 9297799954, 9297799955, 9297799956, 7033292729) से संपर्क कर सकते हैं। पुनः दोहराया जाता है कि आप किसी भी श्रोत से उपरोक्त उपकरण खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं पर यह उपकरण विभाग द्वारा तय मानकों के अनुसार होना चाहिए। उक्त मानकों को विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उक्त मानकों के हिसाब से उपकरण कहीं से भी खरीदें किन्तु विभागीय Control Room से Integrate कराना आवश्यक है।

11. जो भी खनिज का परिवहन होगा उसमें यह ध्यान रखें कि ट्रक/ट्रैक्टर को त्रिपाल से ढका हुआ होना चाहिए, ताकि सड़क पर गंदगी न फैले। साथ ही, वाहन पर गीला बालू किसी भी हालत में नहीं लादा जाए। यदि यह पाया जाता है कि आप उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहें हैं, तो आप पर कार्रवाई की जाएगी।

12. आप आम ग्राहक/जनता से advance में बालू अथवा पत्थर की कीमत नहीं लेंगे। बल्कि यह राशि आप अपने स्रोत से लगायेंगे और ग्राहक को स्थल पर बालू/पत्थर गिराने के पश्चात् ही ग्राहक से राशि प्राप्त करेंगे, जैसी कि स्थापित परम्परा है।

13. आपके पास बालू अथवा पत्थर की आपूर्ति हेतु जनता 3 प्रकार से Order दे सकती है:–

क. जनता BSMC Control Room में सोमवार से शनिवार तक (सुबह 10:00 बजे से लेकर संध्या 05:00 बजे तक) फोन करके अपनी आवश्यकता दर्ज कर सकती है। BSMC Control Room यह Order आपको प्रेषित करेगा।

ख. आम जनता विभागीय वेबसाइट (http://www.mines.bih.nic.in) पर जाकर भी अपना आर्डर दे सकती है। BSMC Control Room उस Order को भी आपके पास भेजेगा।

ग. जनता आपसे सीधे संपर्क कर आपको Order दे सकती है तथा आपको अपने Login से वैसे Order को System में डालना होगा।

14. लघु खनिज की आपूर्ति का Order प्राप्त होते ही आप जिले के BSMC कार्यालय में संपर्क स्थापित करेंगे तथा निर्धारित मूल्य (यानि वह राशि जिस राशि पर ग्राहक को लघु खनिज पहुँचाना है) जमा करेंगे। यह राशि आप अपनी Investment से जमा करेंगे। आप किसी भी हालत में ग्राहक से advance में पैसा नहीं लेंगे। ग्राहक से आप राशि तभी लेंगे जब आप उसके घर पर उक्त लघु खनिज को उसकी संतुष्टि के अनुरूप गिरा देंगे।

15. आप अपने जिलें के BSMC कार्यालय में यह राशि जमा करेंगे। यह राशि Mobile Wallet, UPI, POS अथवा Bank Draft द्वारा BSMC में जमा की जा सकती है। आप BSMC को नगद राशि नहीं भुगतान करेंगे। तत्पश्चात् BSMC एक Invoice निर्गत करेगी जिसे लेकर आप transport वाहन समेत घाट पर जायेंगे और वहाँ से लघु खनिज लदवाकर e-Challan निर्गत कराकर आप ग्राहक तक लघु खनिज को पहुँचाएगे।

16. इस पूरी प्रक्रिया का एक चित्रण इस पत्र के साथ संलग्न है।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि जैसे ही कोई ग्राहक अपना Order आपके पास देगा तो आप को न्यूनतम 1 दिन तथा अधिकतम 7 दिनों के भीतर उक्त ग्राहक को लघु खनिज की आपूर्ति करनी होगी। यदि 7 दिन के पश्चात् आपके द्वारा लघु खनिज की आपूर्ति की जाती है तो BSMC द्वारा आपको देय 8% कमीशन में से कटौती करने का अधिकार होगा।

18. ग्राहक के स्थल पर बालू/पत्थर गिरवाकर आप उक्त ग्राहक से पावती लेंगे तथा उक्त पावती को विभागीय वेबसाइट पर जाकर Upload करेंगे। जब तक आप पावती को Upload नहीं कर देंगे, तब तक यह माना जाएगा कि आपने खनिज की आपूर्ति नहीं की है और आपको 8 प्रतिशत कमीशन तथा परिवहन खर्च का भुगतान BSMC द्वारा नहीं किया जाएगा।

19. जब तक आप यह पावती अपने Login से System में Upload नहीं कर देते तब तक वह Order हमारे System में Pending दिखलाया जाता रहेगा और आपको नया Order नहीं दिया जाएगा।

20. BSMC का यह प्रयास होगा कि वह सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को बराबर की संख्या में Order Distribute करें। अतः यह आवश्यक है कि आप के पास कोई Order Pending नहीं रहना चाहिए।

21. बालू/पत्थर खरीदने की अधिकतम सीमा– बालू एवं पत्थर की काला बाजारी न हो, अतः यह तय किया गया है कि किसी भी व्यक्ति/फर्म को निम्नलिखित के हिसाब से ही लघु खनिज की आपूर्ति करनी है:–

क. एक साधारण नागरिक को अपने निजी उपयोग के लिए बालू/पत्थर खरीदने के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य है। एक आधार कार्ड पर एक व्यक्ति एक माह में अधिकतम 500 CFT बालू तथा 250 CFT पत्थर ले सकता है। अतः आप इस सीमा का ध्यान रखेंगे तथा इससे अधिक बालू/पत्थर किसी एक व्यक्ति को एक माह में नहीं देंगे। आप बिना आधार कार्ड के खनिज आपूर्ति नहीं करेंगे।

ख. कोई व्यक्ति अथवा फर्म, यदि निजी क्षेत्र की बड़ी परियोजनाऐं जैसे Shopping Complex, Multistorey Buildings, Apartments अथवा अन्य व्यवसायिक भवन बनाता है तो उसे इस परियोजना के विरूद्ध अधिकतम 5000 CFT बालू तथा 2500 CFT पत्थर एक बार में देय होगा। इसके लिए PAN No. देना अनिवार्य होगा। दूसरी बार उक्त फर्म/व्यक्ति को बालू एवं पत्थर देने से पहले आप उक्त परियोजना स्थल पर जाकर स्वयं देखेंगे और यह तसल्ली करेंगे कि उसने पुराना लघु खनिज इस्तेमाल किया है या नहीं। यदि उक्त की आड़ में उक्त फर्म द्वारा बालू या पत्थर की कालाबाजारी की जाती है तो उक्त फर्म/व्यक्ति के अतिरिक्त आप पर भी कार्रवाई हो सकती है।

ग. सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए बालू/पत्थर का requisition संबंधित सरकारी अभियंता द्वारा सीधे BSMC को किया जाएगा एवं BSMC उक्त आर्डर को आपको प्रेषित करेगी। तत्पश्चात् सरकारी परियोजना के संवेदक से आप संपर्क कर लघु खनिज की

आपूर्ति करेंगे। आप सरकार परियोजना के लिए किसी भी संवेदक को सीधे खनिज की आपूर्ति नहीं करेंगे। उक्त सरकारी कार्य के संवेदक को BSMC के माध्यम से ही आना होगा।

22. आपको यह सारा व्यापार करने के लिए एक User Id और Password दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप या आपके कम्प्यूटर ऑपरेटर विभागीय वेबसाइट पर Login कर अपना व्यापार कर सकते है।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि आपको अपना कार्य स्वयं करना होगा। यदि कोई महिला अनुज्ञप्तिधारी है तो वह महिला स्वयं कार्य करेगी। यदि कालांतर में जाँच में यह पाया जाता है कि महिला के नाम पर उनके पति या कोई अन्य सदस्य कार्य करते हुए पाए जाते है, तो अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। किसी भी हालत में Proxy Licensee या Absentee Licensee बर्दाश्त नहीं किए जाएगें।

24. आप अपने निबंधित व्यापारिक परिसर के अतिरिक्त और कहीं से व्यापार नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई Outlet खोल सकते हैं।

25. यदि आप अनुज्ञप्ति मिलने के 3 माह तक कोई कार्य नहीं करते हैं और ना ही कोई Order Generate करते हैं तो आप को Dormant Licensee माना जाएगा। और ऐसा मानते हुए 3 माह बाद समाहर्त्ता आपकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई कर सकते हैं।

26. उक्त व्यापार हेतु मात्र एक ही बैंक खाता खोलना है और जिसकी सूचना BSMC को इस E-mail – secymine-bih@nic.in पर भेज देनी है। आपको बैंक में उसी नाम से खाता खोलना है, जिस नाम से आपको अनुज्ञप्ति निर्गत हुई है। साथ ही, Bank Account No. बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम एवं पता तथा IFSC Code भी भेजना होगा। यह इसलिए आवश्यक है ताकि आपका 8 प्रतिशत कमीशन तथा परिवहन खर्च आपको बैंक Transfer के माध्यम से भेजा जा सके।

27. License मिलने के बाद यदि आपको यह लगता है कि आप यह व्यापार नहीं कर पा रहे हैं तो आप नियम 62 के तहत समाहर्त्ता को 3 माह का नोटिस देकर अपनी अनुज्ञप्ति Surrender कर सकते हैं।

28. Computer के माध्यम से Log In करने या अन्य प्रकार के किसी भी दिक्कत होने पर आप विभाग के Project Monitoring Unit (PMU) में इस नम्बर – 0612 – 2233042, 0612 – 2233043 पर संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार, पटना